न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान "न्याय आपके द्वार" शिविर 2017
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मंमाणा, तहसील दूदू
शिविर प्रभारी – श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 44/2015

प्रार्थना–पत्र दायरी दिनांक : 11/06/2015

निर्णय दिनांक : 08/05/2017

अशोक कुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल, जाति खटीक, निवासी दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

–– प्रार्थी

बनाम

1. सायर पत्नी खेमा जाति जाट,
2. गणेश पुत्र भूरा, जाति जाट
3. कल्ला पुत्र बोदू, जाति जाट
4. सत्यनारायण
5. कैलाश — पुत्रान रामचन्द्र
6. राजू — जाति ब्राहाम्ण
7. बजरंग
8. बद्री — पि. मांगू
9. श्रवण — जाति जाट
10. सुण्डा पुत्र गुल्ला, जाति जाट
11. दानाराम
12. रतनलाल — पुत्रान लादू जाति
13. श्योदान — गुर्जर
14. बजरंग — पुत्रान भूरा
15. गोपाल — जाति गुर्जर
16. लिखमा पुत्र लालू जाति गुर्जर
17. घीसा पुत्र जोरू, जाति गुर्जर
18. तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

समस्त निवासीगण
ग्राम नीमली
तहसील दूदू
जिला जयपुर
राजस्थान।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थगरढी
(अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम–1956)

Scanned by CamScanner

उपस्थिति – श्री विरेन्द्र सिंह खंगारोत
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

अप्रार्थी संख्या 18 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 08/05/17

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत करवाये जाने पत्थरगढी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के आराजी खाता संख्या 133 के आराजी खसरा नम्बर 1215, 1216, 1236, 1237, 1240 कुल किता 05 कुल रकबा 3.69 हैक्टेयर वाके ग्राम नीमली, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है, जिसका प्रार्थी एकमात्र् रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एंव मौके पर काबिज काश्त हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 17 प्रार्थी की आराजीयात के पडौसी खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी के खेत की मेर सींव के सम्बन्ध में आये दिन विवाद होते रहते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 प्रार्थी की आराजी के पडौसी काश्तकार है, जो आये दिन मेर सींव को लेकर प्रार्थी से विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। इसलिये उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है ताकि सीमा सम्बन्धी विवाद भी समाप्त हो सकें। तहसीलदार साहब, तहसील दूदू के आदेश की पालना में पटवार हल्का द्वारा मौके पर उपस्थित होकर सीमाज्ञान करवाया गया, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 17 ने सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर रहे है तथा सीमा को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न करते रहते है, जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 सीमाज्ञान को नहीं मानने एवं अपनी सीमाओं से अधिक बढकर प्रार्थी की आराजी की सीमाओं में आकर बाहजोत करने का प्रयास करने के कारण प्रार्थी अपनी सीमाओं पर पत्थरगढी करवाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से सादर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपर्युक्त

Scanned by CamScanner

आराजीयात वाके ग्राम नीमली, तहसील दूदू, जिला जयपुर का सीमाज्ञान किया जाकर सीमाओं पर पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार दूदू को प्रदान कर पालना करवाई जाने की कृपा करावें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 15/06/2015 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 की प्रोपर तामिल होकर पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 की ओर से श्री गिरधारीलाल वर्मा अधिवक्ता ने अण्डरटेकिंग ली। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 7 लगायत 17 बावजूद तामिल के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

दिनांक 27/10/2015 को अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से श्री गिरधारीलाल वर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनाक 08/05/2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत एवं कैम्प कोर्ट शिविर "न्याय आपके द्वार" मुकाम मंमाणा पर पेश हुई, जिसमें अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र में अंकित खसरा नम्बरान की पत्थरगढ़ी करवाने जाने हेतु सहमति प्रदान की। शेष अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 व 8 लगायत 17 के विरूद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 18 तहसीलदार दूदू की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र पत्रावली में संलग्न है। जिसमें तहसीलदार द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाये जाने बाबत सहमति प्रदान की गयी है। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 के अधिवक्ता श्री गिरधारी लाल वर्मा द्वारा शिविर में उपस्थित होकर प्रार्थी की आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 7 तथा पैरोकार राज की बहस में सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7 व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 30/06/2014, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 133 का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं अन्य जो सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी पेश की गयी है, जिससे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 17 उक्त आराजीयात के पडौसी खातेदार काश्तकार होना साबित होते है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

का तहसीलदार दूदू के आदेश क्रमांक/एल.आर./2014/1973 के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका हैं, अब प्रार्थी अपनी आराजीयात की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाना चाहता हैं, चूंकि प्रार्थी अपनी आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व 8 लगायत 17 की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया तथा न ही कोई आपत्ति पेश की गयी है तथा इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5 के अधिवक्ता तथा अप्रार्थी संख्या 7 ने स्वयं उपस्थित होकर व अप्रार्थी संख्या 18 की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा पत्थरगढी किये जाने बाबत किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। इस प्रकार अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता हैं, जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दूदू को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 133 के आराजी खसरा नम्बर 1215, 1216, 1236, 1237, 1240 कुल किता 05 कुल रकबा 3.6900 हैक्टेयर वाके ग्राम नीमली, तहसील दूदू का सीमाज्ञान कर सीमाओं पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें तथा आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद स्वंय प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08/05/17 को मजमा ए आम अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मंमाणा में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

शिविर प्रभारी/उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner